राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(22)ग्रावि / नरेगा / टीएससी / 2011 जयपुर, दिनांक 28 NOV 2011

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कन्वर्जेन्स द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के संबन्ध में।

संदर्भ :– विभागीय पत्रांक एफ1(2)ग्रावि / नरेगा / माद / पार्ट–3 / 2010 दिनांक 26.08.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ कन्वर्जेन्स के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण के संबन्ध में स्वीकृतियां जारी करने, कार्य को कराये जाने एवं इस कन्वर्जेन्स का लाभ अधिक से अधिक उठाया जा सके, के संबन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे।

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत समस्त वित्तीय स्वीकृतियां जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य हेतु जारी मार्ग दर्शिका के बिन्दु संख्या 6.3 में वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्तिगत शौचालय को एक स्वतन्त्र कार्य माना जायेगा। **सर्वप्रथम सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत जारी की गयी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में सम्मिलित सभी लाभार्थियों की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी की जावे एवं इसके तहत श्रम मद में 6 अकुशल श्रम दिवसों की मजदूरी तथा सामग्री मद में 2 कुशल / अर्द्धकुशल श्रम दिवसों की मजदूरी के बराबर राशि की स्वीकृति ही जारी की जावे।** इसमें केन्द्र सरकार द्वारा जारी मार्ग दर्शिका के बिन्दु संख्या 7.1(अ) में वर्णित प्रावधान को ध्यान में रखा जावे जिसमें वर्णित है कि व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए 6 अकुशल श्रमिक तथा 2 कुशल श्रमिक उपलब्ध कराये जायेंगे परन्तु यह भी ध्यान रखा जावे कि इसमें सामग्री मद में कुल व्यय का 40 प्रतिशत से अधिक व्यय नही हो। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिक दर ₹ 119 / –प्रतिदिन है। इस प्रकार अकुशल श्रमिक मद में अधिकतम राशि ₹ 714 / –अनुमत है। प्रत्येक कार्य पर सामग्री मद में 40 प्रतिशत तक राशि अनुमत किये जाने की स्थिति में अधिकतम ₹ 476 / –की अनुमति दी जा सकती है। अतः जिले में कुशल श्रमिक दर ₹ 238 / –से अधिक होने पर सामग्री मद हेतु अधिकतम ₹ 476 / –तक की अनुमति ही योजनान्तर्गत दी जा सकती है। इस प्रकार एक व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए अधिकतम श्रम मद में राशि ₹ 714 / –, सामग्री मद पर राशि ₹ 476 / –, कुल राशि ₹ 1190 / –की स्वीकृति जारी की जा सकती है।
2. इसी प्रकार **ऐसे बी पी एल परिवार जिनके लिए इन्दिरा आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री बी पी एल आवास योजना के तहत वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयी है एवं जिनके लिए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नही की गयी है, की वित्तीय स्वीकृति व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत जारी की जावे** ताकि आवास निर्माण के साथ ही व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया जा सके। इसके लिए संलग्न परिशिष्ठ–1 के अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकती है।
3. महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत **अन्य योग्य परिवार जो सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत अनुदान के लिए पात्र नही है** अर्थात अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शेष परिवारों के आवास में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर योजनान्तर्गत **उक्तानुसार देय श्रम दिवसों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावे।** इन परिवारों के द्वारा सामग्री की राशि स्वयं वहन की जावेगी।
4. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण के लिए जिले में मॉडल तकमीना, जिसमें लीच पिट निर्माण, चबूतरा निर्माण एवं पैन ट्रेप लगाने के कार्य को सम्मिलित करते हुए तैयार

किया जावे। यह मॉडल तकमीना सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की मॉडल ड्राईंग तथा इसके दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार किया जावे। इस मॉडल तकमीने के आधार पर तकनीकी स्वीकृति जारी की जावें अर्थात जिला स्तर पर सभी पात्र परिवारों की एक साथ मॉडल तकमीने अनुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जावे। निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय के लिए 6 अकुशल मानव दिवसों एवं 2 कुशल/अर्द्धकुशल मानव दिवसों पर होने वाला व्यय ही अनुमत है। अतः व्यक्तिगत शौचालय के लिए तकनीकी स्वीकृति 6 अकुशल मानव दिवसों एवं 2 कुशल/अर्द्धकुशल मानव दिवसों के लिए ही जारी की जावे। परन्तु इसमें बिन्दु संख्या 1 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही राशि की स्वीकृति जारी की जावे।

5. व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी परिवार का इस कार्य पर कार्य किया जाना आवश्यक होगा। अतः व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण कार्य हेतु अकुशल श्रमिकों की मस्टररोल लाभार्थी परिवार के नाम से ही नियमानुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। 2 कुशल मानव दिवस अथवा सामग्री मद की राशि के बराबर मजदूरी हेतु कुशल श्रमिकों की मस्टररोल नियमानुसार बिना नाम के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। कार्य की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत होगी। कार्य पर मेट का नियोजन नही होगा।
6. मॉडल तकमीने में प्रस्तावित शौचालय निर्माण में किया गया कार्य टास्क से अधिक होना संभावित है एवं योजनान्तर्गत अनुमत मानव श्रम एक ही मस्टररोल पर पूर्ण हो जायेगा, अतः मस्टररोल के साथ ही लाभार्थी द्वारा तकमीने अनुसार किये गये कार्य को पूर्ण करने पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा कार्य की प्रविष्टि माप पुस्तिका में दर्ज कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना आवश्यक होगा। कार्य का भुगतान महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
7. कार्य को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नही होने की स्थिति में भी कराया जा सकेगा परन्तु इसे संशोधित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराया जा सकेगा।
8. बी.पी.एल. परिवारों को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत मिलने वाले ₹ 3200/- की राशि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही देय होगी।

कृपया इस संबन्ध में सभी विकास अधिकारियों, संबन्धित अभियन्ताओं, सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम सेवक एवं ग्राम रोजगार सहायक, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से जुडे कार्मिकों आदि को अवगत कराने का श्रम करें एवं उक्तानुसार कार्य सम्पादित कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावें।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

25/11/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर/जोधपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता नरेगा समस्त राजस्थान।
4. कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
5. सहायक अभियन्ता नरेगा/कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक, समस्त राजस्थान।
6. सरपंच ग्राम पंचायत समस्त राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

परिशिष्ठ–1

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान ....,

वित्तीय स्वीकृति

क्रमांक दिनांक

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, इन्दिरा आवास योजना तथा मुख्यमंत्री बी पी एल आवास योजना के तहत जिले में जारी की गयी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ कन्वर्जेन्स के माध्यम से संलग्न सूची के अनुसार परिवारों के व्यक्तिगत आवास में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार हेतु श्रम मद में राशि ₹ 714/– तथा सामग्री मद में राशि ₹ ....(2 कुशल श्रमिकों की मजदूरी भुगतान राशि), कुल राशि ₹ ....के लिए वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कुल परिवारों की संख्या जिनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जा रही है– परिवार

वित्तीय स्वीकृति की कुल राशि ₹

यह वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन जारी की जा रही है।

शर्तें :–

1. कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रत्येक परिवार के लिए पृथक–पृथक नियमानुसार नरेगा योजना में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा मॉडल तकमीने के आधार पर जारी की जायेगीं। यह तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति की राशि के बराबर होगी।
2. महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानानुसार अकुशल श्रम लाभार्थी परिवार स्वयं के द्वारा किया जायेगा।
3. कार्य की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत होगी।
4. कार्य की माप नियमानुसार कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा की जाकर माप पुस्तिका में इन्द्राज किया जायेगा। चूंकि कार्य एक ही मस्टररोल पर पूर्ण कराया जायेगा अतः कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र मस्टररोल के साथ ही कनिष्ठ अभियन्ता/ कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा जारी किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

संलग्नः– उपरोक्तानुसार सूची।

जिला कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला प्रमुख/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद...........................।
2. प्रधान/विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति ....।
3. सरपंच ग्राम पंचायत ....।
4. रक्षित पत्रावली।

जिला कार्यक्रम समन्वयक